प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक–09.05.2016 को हिन्दी दैनिक ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित समाचार **''बैन कंपनियों को दवा सप्लाई का ठेका''** में यद्यपि किसी कम्पनी का नाम प्रकाशित नहीं किया गया है, तथापि प्रकाशित समाचार एवं बी0एम0एस0आई0सी0एल0 (निगम) के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार M/s Daffodills Pharmaceuticals, मेरठ एवं M/s Jackson Laboratories Pvt. Ltd., अमृतसर नामक कम्पनियों ने निगम के निविदाओं में भाग लिया ।

2. निगम के निविदा सं0 BMSIC/DRUGS/15-04 में NIT की शर्त्तों के अनुरूप M/s Daffodills Pharmaceuticals, मेरठ, का कागजात पाये जाने के आधार पर आपूर्त्ति आदेश निर्गत किया गया है, परन्तु इस कम्पनी द्वारा अब तक आपूर्त्ति नहीं की गई है। फलतः इसी कम्पनी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। **उक्त कम्पनी को तत्काल दवा आपूर्त्ति नहीं करने का निदेश दिया गया है।** अतः समाचार पत्र में प्रकाशित यह सूचना कि मेरठ की कम्पनी ने बिहार में लगभग 50.00 लाख रु0 की दवा आपूर्त्ति कर दी है, असत्य है।

3. निगम के निविदा सं0 BMSIC/DRUGS/15-05 में M/s Jackson Laboratories Pvt. Ltd., अमृतसर को निविदा की शर्त्तों के आलोक में औपबंधिक रूप से तकनीकी मूल्यांकन में यद्यपि स्वीकृत किया गया है, परन्तु इस निविदा की वित्तीय निविदा नहीं खोली गई है। अतः इस कम्पनी के साथ अब तक कोई एकरारनामा नहीं किया गया है।

4. तथापि, पारदर्शिता के दृष्टिकोण से मामले की जाँच के लिए विभाग द्वारा सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में द्वि–सदस्यीय समिति का गठन करते हुए समिति को 16.05.2016 तक प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है।

5. जाँच प्रतिवेदन में दोषी पाये जाने वाले कम्पनी के विरूद्ध नियमानुकूल कठोर कार्रवाई की जाएगी।

——

9.5.16